

डिक्री वगुक्तमें ईत्तादाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 553/2024

निर्मल कुमार पुत्र आसाराम जाति विश्‍नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्



- सुमन पुत्री स्व. आसाराम पत्नी इन्द्र कुमार जाति विश्‍नोई निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- शक्ति पुत्री स्व. आसाराम पत्नी बलवीर जाति विश्‍नोई निवासी चमारखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
- रितू पुत्र स्व. आसाराम पत्नी सुभाष जाति विश्‍नोई निवासी चमारखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
- सकीला पुत्री स्व. आसाराम पत्नी दिनेश कुमार जाति विश्‍नोई निवासी खुवण तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
- रामेश्वरी देवी पत्नी स्व. आसाराम जाति विश्‍नोई निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 11.2.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री भीम पारीक वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री विनोद साईच अभिभाषक प्रतिवादीगण की उपस्थिति में यह डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 8 पी.टी.पी. के खाता संख्या 12/21 जमाबंदी संवत 2073-76 में 1.499 है. व इसी चक के खाता संख्या 13/20 में 1.096 है. कुल 2.595 है. कृषि भूमि का वादी निर्मल कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के पिता आसाराम का नाम उक्त खातो में से कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। निज...~~निल~~...~~मुख्लिक~~...~~निल~~...~~बाबत~~...~~निल~~...~~खर्चा~~ मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...~~को~~...को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.2.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

